classmate
Date
Page

DATE: 12/08/2020
CLASS: B.A.(H) PART-2ND
SUBJECT: POLITICAL SCIENCE
PAPER: III (INDIAN GOVERNMENT & POLITICS)
CH: 06 (THE UNION EXECUTIVE: PRESIDENT)
LECTURE NO. 35 (THIRTY FIVE)

By. OM KUMAR SINGH
ASSISTANT PROFESSOR
DEPTT. OF POL. SC.
D.B. COLLEGE, JAYNAGAR
LNMU, DARBHANGA

राष्ट्रपति की वीटो शक्ति
Veto Power of the President

संविधान के मूलभावना के विपरीत एवं बिना पर्याप्त विचार-विमर्श के जल्दबाजी में संसद द्वारा पारित किए गए विधेयक को अधिनियम बनने से रोकने हेतु राष्ट्रपति को कुछ शक्तियाँ प्रदान गई है, उसे ही वीटो शक्ति कहा जाता है।

भारत के राष्ट्रपति तीन प्रकार के वीटो का प्रयोग करते हैं —

(i) अत्यांतिक वीटो
(Absolute Veto)
(ii) निलंबनकारी वीटो
(Suspensive Veto)
(iii) जेबी वीटो
(Pocket Veto)

अत्यांतिक वीटो एवं निलंबनकारी वीटो का संविधान के अनुच्छेद 111 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है, परन्तु जेबी वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति इस वजह से करता है कि किसी विधेयक के अनुमति हेतु संविधान के द्वारा समय सीमा निर्धारित नहीं किया गया है अर्थात इसके लिए समय सीमा का उल्लेख नहीं है।

Scanned with CamScanner

classmate
Date
Page

(i) अत्यांतिक वीटो :-
Absalute Veto

इसके अन्तर्गत राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख लेता है।

(ii) निलंबनकारी वीटो :-
Suspensive Veto

इसके अन्तर्गत राष्ट्रपति को भेजा गया विधेयक राष्ट्रपति द्वारा संसद को पुनर्विचार हेतु वापस भेजा जाता है। यदि संसद विधेयक पुनर्विचार करने बाद संशोधन करके अथवा बिना संशोधन किये राष्ट्रपति के पास पुन: भेजती है तो राष्ट्रपति इस पर अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य है। संविधान संशोधन विधेयक एवं धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु राष्ट्रपति संसद को लौटा नहीं सकता।

(iii) जेबी वीटो :-
(Pocket Veto)

जब राष्ट्रपति विधेयक को अपने पास रखे रहे अर्थात् अपनी सहमति या असहमति कुछ न दें।

इस मामले में भारत का राष्ट्रपति अमेरिका के राष्ट्रपति से अधिक शक्तिशाली है क्योंकि अमेरीकी राष्ट्रपति इसको मात्र 10 दिनों के लिए रोक सकते हैं, जबकि भारतीय राष्ट्रपति के पास समय का कोई प्रावधान नहीं है।

1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह द्वारा पॉकेट वीटो का प्रयोग भारतीय डाक (संशोधन) अधिनियम के आलोक में किया गया।